

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

गोपालदास पिता हीरादास साधु निवासी पण्डेर

बनाम

कैलाश पिता काना रेगर निवासी गोकलपुरा

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए

मुकदमा नंबर 589/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुये
28/05/2024	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम गोकलपुरा प.ह.जसवंतपुरा मे आराजी सं. 763 रकबा 0.8175 है., आराजी सं. 352 रकबा 0.8660 है. , 357 रकबा 0.6637 है. कुल किता 2 रकबा 1.5297 है. एवं ग्राम पण्डेर प.ह. पण्डेर मे आराजी सं. 5353 रकबा 0.3076 है. , 5354 रकबा 0.0486 है.,5355 रकबा 0.0405 किता 3 रकबा 0.3967 है भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की तार्ईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2075 से 2078 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। ग्राम गोकलपुरा प. ह.जसवंतपुरा की आराजी सं. 763 रकबा 0.8175 है., आराजी सं. 352 रकबा 0.8660 है. , 357 रकबा 0.6637 है. कुल किता 2 रकबा 1.5297 है. एवं ग्राम पण्डेर प.ह. पण्डेर की आराजी सं. 5353 रकबा 0.3076 है. , 5354 रकबा 0.0486 है.,5355 रकबा 0.0405 किता 3 रकबा 0.3967 है.भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक पण्डेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रूपये तय किए जाते है जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमे से 100 रू राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस /समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थित में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।</p> <p>आदेश आज दिनांक /06/2024 को खुलं न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा</p>	

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

कमांक/रीडर/2024/503/2024


दिनांक 28/08/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:- प्र.स. 503/2024 अनवान गोपालदास पिता हीरादास साधु निवासी पण्डेर बनाम कैलाश पिता काना रेगर, जेतीदेवी पत्नि रामप्रसाद गुर्जर निवासी गोकलपुरा, गोपाल पिता मिश्रीलाल ब्राह्मण, घनश्याम पिता मिश्रीलाल ब्राह्मण, दुर्गालाल पिता मिश्रीलाल ब्राह्मण, शंकरलाल पिता मिश्रीलाल ब्राह्मण, छीतर पिता हीरा रेगर निवासी गोकलपुरा, मोहनलाल पिता छोगालाल भाट निवासी पण्डेर, कालुराम पिता बद्रीलाल गुर्जर निवासी गोकलपुरा, गौरु पिता बोदू भाट, अखलेश पिता चान्दमल ताम्बी निवासी पण्डेर तहसील जहाजपुर वगैरह की पत्थरगढी की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम गोकलपुरा प.ह. जसवंतपुरा की आराजी सं. 763 रकबा 0.8175 है., आराजी सं. 352 रकबा 0.8660 है. , 357 रकबा 0.6637 है. कुल किता 2 रकबा 1.5297 है. एवं ग्राम पण्डेर प.ह. पण्डेर की आराजी सं. 5353 रकबा 0.3076 है. , 5354 रकबा 0.0486 है., 5355 रकबा 0.0405 किता 3 रकबा 0.3967 है. भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक पण्डेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 500 रूपये तय किए जाते है जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस/समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिती में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।


उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा